ɾ हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व लग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र वाली जबाव दिनांक 02.07.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी नुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हाजा में मौजा कमेड़िया के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित पने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में द्वारा खसरा नं. 289, 291 की भूमि को यथावत व खसरा नंबर 285 का माफिक जबाब अनुसार बंट चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन विभाजन नहीं है अतः खसरा नंबर 285 का बंटवाड़ा पूर्ण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 12.10.2021 को प्राथमिक या के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 12.10.2021 ना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 615 दिनांक 03.2.2022 को प्राप्त हुआ। ɾ डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा रान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित रान् में वादी एवं प्रतिवादी श्रवणराम, रामनारायण, गेनाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति की है। प्रतिवादी संख्या 3 विदेश रहता है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार ड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने पुष्टि मौतबिरान लिखमाराम व दिनेश तथा भू.अभि.निरीक्षक कमेड़िया की उपस्थिति एवं क्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक वारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादी संख्या 4 व 5 नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का तीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 4 व 5 क्रमश परमा व किरण का नियमानुसार जहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा मेड़िया तहसील जायल में खेत खसरा नं. 285 रकबा 4.3463 हैक्टेयर, 289 रकबा 2.7195, खसरा नंबर 291 रकबा 0.8903 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कमेड़िया तहसील जायल में खेत खसरा नं. 285 रकबा 4.3463 हैक्टेयर, 289 रकबा 2.7195, खसरा नंबर 291 रकबा 0.8903 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 285 रकबा 4.3463 हेक्टैयर में से 1.4475 हेक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

24/02/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 176/2019
सीसीएमएस नंबर 2019/10215
श्रवणराम बनाम गेनाराम वगैरह

वादी संख्या 2 रामनारायण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा
नंबर 285 रकबा 4.3463 हेक्टैयर में से 1.4475 हेक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
वादी संख्या 3 रामकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर
285 रकबा 4.3463 हेक्टैयर में से 1.4475 हेक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
वादीगण क्रमश श्रवणराम, रामनारायण, रामकरण के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में
मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 285 रकबा 4.3463 हेक्टेयर में से 0.0038 हेक्टेयर
नजरीनक्शानुसार रास्ते हेतु भूमि रखी जाती है।
4. शेष खेताय यथावत प्रतिवादी संख्या 1 गेनाराम के हक बंट में रखा गया है।
5. वादी संख्या 4 व 5 के हक बंट में मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है
इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया
6. जाने पर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
7. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
8. बैंक के रहन् खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी
कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner